


31/8/23

वकील उभयपक्ष उर्फ अपीलकर्ता स्वयं उर्फ अपीलकर्ता
ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि
अपीलकर्ता अपील को अगे चलाना नहीं चाहते हैं। लोक
अदालत की भावना से अपील विद्वा करना चाहते
हैं। अतः अधिवक्ता अपीलकर्ता के निवेदन पर प्रार्थना
पत्र को स्वीकार किया जाता है। अपील जरिये विद्वा
रवारिज की जाती है। फतावली फैसल सुनार बाद
आवश्यक कार्यवाही दायिजल दफ्तर डी।


राजस्व अपील प्राधिकारी
माली